न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

बइजलास श्री मुकेश कुमार मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
05/2013	03/01/2013	25/02/2019

– उनवान –

1. श्रीमती नाथी पुत्री गोपी पत्नि भगवान सहाय आयु 60 साल जाति रैगर निवासी रैंगरों का मौहल्ला, हांडीपुरा आमेर जिला जयपुर राजस्थान। – (दौहराने दावा फौत)

   1/1 राजू पुत्र भगवान सहाय जाति रैगर आयु 42 साल निवासी रैगरों का मौहल्ला, हांडीपुरा आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

....................वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र नरसीराम जलुथरिया जाति रैगर निवासी जगजीवन निवास, गली नम्बर 3, मकान नम्बर 226–227 करोल बाग दिल्ली।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

रमाशंकर शर्मा – वादी

पैरोकार सरकार – प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

वादीया ने यह वादपत्र घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस कथन के साथ पेश किया कि वादीया के पिता गोपी पुत्र काला एवं माता श्रीमती गोदी देवी जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं। वादीया अपने माता – पिता कि एक मात्र जाईन्दा विधिक वारीस हैं तथा उनके द्वारा छोडी गई समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति कि एक मात्र वारीस हैं तथा वादीया जो अपने पिता स्व0 श्री गोपी से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति में अपना हित रखती हैं। वादिया के सजरे अनुसार वादिया के पिता गोपी पुत्र काला के विधिक वारीसान वादीया कि माता गोदी व स्वयं वादीया हुई। वादिया कि माता गोदी का स्वर्गवास भी पूर्व में हक हो चुका । वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1384 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा साबीका नम्बर 3753 के मिन नम्बरान से बना हैं जो ग्राम जमवारामगढ़ पटवार क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित हैं। खसरा नम्बर 3753 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा के एक मात्र मालिक काबिज खातेदार वादीया के पिता थे जिसका इन्द्राज भी सम्वत 2008 से 2027 कि भू–प्रबन्धक विभाग कि खतौनी बन्दोबस्त हैं। दौराने एकीकरण उक्त खसरा नम्बर 3753 के मिन नम्बरान से नया खसरा नम्बर 1384 बनाया गया जो स्व0 गोपी की खातेदारी काश्त की भूमि रही। वादीया के पिता के मृत्यु के समय से वादीया उक्त जायदाद में उसके (स्व0 गोपी) हिस्से में से शामलाती रूप से 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार वादीया में एवं शेष 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार वादीया कि माता श्रीमति गोदी में स्वतः ही कानूनन निहित हो गये। माता श्रीमति गोदी के मृत्यु के पश्चात उक्त खातेदारी भूमि के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदारी अधिकार वादीया में स्वतः कानूनन निहित हो गये। परन्तु स्व0 गोपी की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि में स्व0 गोपी के हिस्से का फौती नामान्तकरण उसके (स्व0 गोपी) के सगे भाई ग्यारसीलाल के सगे पुत्र नरसी (प्रतिवादी सं. 1 के पिता) ने एकीकरण विभाग के कर्मचारीयों से साज कर अपने नाम खुलवा लिया एवं उसी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेखों में उनका नाम अमलदरामद हो गया परन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदार

.......................2

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

वादीया कानूनन हैं तथा अपने हिस्से की उक्त सम्पत्ति को वादीया काश्त कर अपना जीवन यापन कर रही हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीया के पिता स्व0 गोपी के सम्पूर्ण भाग के खातेदारी अधिकार वादीया को कानूनन प्राप्त हैं जो कि वादीया को पिता से प्राप्त सम्पत्ति हैं जिसमें प्रतिवादी सं. 1 या उसके पिता नरसी का किसी भी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं हैं। जिस पर से बेदखल करने का या वादीया के निहित हित को खुर्द बुर्द करने का प्रतिवादी सं. 1 को कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त मद सं. 3 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का किसी प्रकार का कोई विधिक हक अधिकार नहीं हैं अपने पिता नरसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान करने का अधिकार भी प्रतिवादी सं. 1 को नहीं हैं। परन्तु उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम सम्पूर्ण भाग कि खातेदारी दर्ज होने का नाजायज रूप से फायदा उठाते हुए व वादीया को उसके निहीत विरासती हिस्से से महरूम करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 उक्त वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण का बैचान करने को आमादा हैं। उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीया सम्पूर्ण भाग कि खातेदार हैं जिससे प्रतिवादी सं. 1 से किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं हैं । स्व0 गोपी से प्राप्त उक्त विरासती भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीया प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम दर्ज भूमि के सम्पूर्ण भाग कि कानूनन खातेदार हैं जिस पर काबिज हैं , जिसकी वादीया बरूहे कानुनन खातेदार होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बजरिये अदालत करवाने की अधिकारी हैं। वादीया को वादीया के अधिकारों से वंचित करने के लिये वादीया के निहित हित से महरूम करने की नियत से प्रतिवादी सं. 1 उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बेचान करने कि फिराक में हैं तथा वादीया को बेकाबिज करने की फिराक में लगे हुए हैं इस लिए प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें, वादीया को जबरन बेकाबिज नहीं करें तथा वादीया के हिस्से की भूमि पर पुख्ता तामीरात नहीं करें। तथा प्रतिवादी सं. 1 उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान नहीं करे , राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं करवावें। उक्त प्रकार के कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और ना ही अपने एजेन्ट – सर्वेन्ट इत्यादि से करवावें।दिनांक 20–12–2012 को वादीया जब अपने हिस्से कि भूमि को सम्भालने गई तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ लोगों को वादग्रस्त भूमि पर लाये और भूमि के बैचान कि वार्तालाप करने लगे तो वादीया ने कहां कि उक्त वादग्रस्त भूमि मेरे पिताजी कि निशानी हैं इसका बैचान मत करों तो उन लोगों ने वादीया को एलानियां धमकियां दी कि तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली उक्त भूमि कि खातेदारी मेरे पिता के नाम दर्ज हैं मैं इसका बैचान करूगां तथा तुम्हे बेदखल करके रहुगां। वादीया को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद कारण प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीया को प्राप्त उसके निहित हित के हिस्से में काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने एवं उसके हिस्से की भूमि को बैचान कर खुर्द – बुर्द करने की धमकीयां दिनांक 20–12–2010 को देने से उत्पन्न होरक आज तक निरन्तर जारी हैं जिससे उनके विरूद्ध दावा लाना आवश्यक हुआ।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 घोषणा डिक्री किया जावे कि वादीया भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1384 ग्राम जमवारामगढ़ पटवार क्षेत्र जमवारामगढ़ तहसील जमवरामगढ़ में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं।

वादपत्र वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 03/01/2013 को प्रतिवादी कि तलबी कि गई प्रतिवादी सं. 2 कि तामील होकर प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी सं. 1 का नोटीस अदम तामील प्राप्त हुआ। दिनांक 01/07/2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जमवारामगढ़ में प्रस्तुत हुई वकील वादी ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 का पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 25/11/2016 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 स्वीकार किया गया। दिनांक 05/12/2016 को वकील वादी द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड नोटीस तलब किया गया बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई पत्रावली वास्ते साक्ष्य आगामी तारीख पेशी फरमा दी गई। दिनांक 25/02/2018 को वादी कि ओर से साक्ष्य हेतू राजू व नेमीचन्द पुत्र हुकमचन्द जाति रैगर निवासी ग्राम आमेर तहसील आमेर ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 05/12/2016 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकि हैं।

साक्ष्य में वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल सेटलमेन्ट खतौनी खसरा नम्बर 3753 कि प्रमाणित प्रति , नकल मिलान क्षेत्रफल कि प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी एकीकरण कि प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 कि प्रमाणित प्रति पेश कि जो शामिल पत्रावली हैं।

........................3

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

बहस वादी सुनी गई बहस में वादी द्वारा वादपत्र में अंकित आराजियात की ताईद कि वादीया के पिता गोपी पुत्र काला एवं माता श्रीमती गोदी देवी जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं। वादीया अपने माता – पिता कि एक मात्र जाईन्दा विधिक वारीस हैं तथा उनके द्वारा छोडी गई समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति कि एक मात्र वारीस हैं तथा वादीया जो अपने पिता स्व0 श्री गोपी से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति में अपना हित रखती हैं। वादिया के सजरे अनुसार वादिया के पिता गोपी पुत्र काला के विधिक वारीसान वादीया कि माता गोदी व स्वयं वादीया हुई। वादिया कि माता गोदी का स्वर्गवास भी पूर्व में हक हो चुका । वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1384 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा साबीका नम्बर 3753 के मिन नम्बरान से बना हैं जो ग्राम जमवारामगढ़ पटवार क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित हैं। खसरा नम्बर 3753 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा के एक मात्र मालिक काबिज खातेदार वादीया के पिता थे जिसका इन्द्राज भी सम्वत 2008 से 2027 कि भू–प्रबन्धक विभाग कि खतौनी बन्दोबस्त हैं। दौराने एकीकरण उक्त खसरा नम्बर 3753 के मिन नम्बरान से नया खसरा नम्बर 1384 बनाया गया जो स्व0 गोपी की खातेदारी काश्त की भूमि रही। वादीया के पिता के मृत्यु के समय से वादीया उक्त जायदाद में उसके (स्व0 गोपी) हिस्से में से शामलाती रूप से 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार वादीया में एवं शेष 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार वादीया कि माता श्रीमति गोदी में स्वतः ही कानूनन निहित हो गये। माता श्रीमति गोदी के मृत्यु के पश्चात उक्त खातेदारी भूमि के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदारी अधिकार वादीया में स्वतः कानूनन निहित हो गये। परन्तु स्व0 गोपी की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि में स्व0 गोपी के हिस्से का फौती नामान्तकरण उसके (स्व0 गोपी) के सगे भाई ग्यारसीलाल के सगे पुत्र नरसी (प्रतिवादी सं. 1 के पिता) ने एकीकरण विभाग के कर्मचारीयों से साज कर अपने नाम खुलवा लिया एवं उसी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेखों में उनका नाम अमलदरामद हो गया परन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदार वादीया कानूनन हैं तथा अपने हिस्से की उक्त सम्पत्ति को वादीया काश्त कर अपना जीवन यापन कर रही हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीया के पिता स्व0 गोपी के सम्पूर्ण भाग के खातेदारी अधिकार वादीया को कानूनन प्राप्त हैं जो कि वादीया को पिता से प्राप्त सम्पत्ति हैं जिसमें प्रतिवादी सं. 1 या उसके पिता नरसी का किसी भी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं हैं। जिस पर से बेदखल करने का या वादीया के निहित हित को खुर्द बुर्द करने का प्रतिवादी सं. 1 को कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त मद सं. 3 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का किसी प्रकार का कोई विधिक हक अधिकार नहीं हैं अपने पिता नरसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान करने का अधिकार भी प्रतिवादी सं. 1 को नहीं हैं। परन्तु उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम सम्पूर्ण भाग कि खातेदारी दर्ज होने का नाजायज रूप से फायदा उठाते हुए व वादीया को उसके निहीत विरासती हिस्से से महरूम करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 उक्त वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण का बैचान करने को आमादा हैं। उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीया सम्पूर्ण भाग कि खातेदार हैं जिससे प्रतिवादी सं. 1 से किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं हैं । स्व0 गोपी से प्राप्त उक्त विरासती भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीया प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम दर्ज भूमि के सम्पूर्ण भाग कि कानूनन खातेदार हैं जिस पर काबिज हैं , जिसकी वादीया बरूहे कानुनन खातेदार होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बजरिये अदालत करवाने की अधिकारी हैं। वादीया को वादीया के अधिकारों से वंचित करने के लिये वादीया के निहित हित से महरूम करने की नियत से प्रतिवादी सं. 1 उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बेचान करने कि फिराक में हैं तथा वादीया को बेकाबिज करने की फिराक में लगे हुए हैं इस लिए प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें, वादीया को जबरन बेकाबिज नहीं करें तथा वादीया के हिस्से की भूमि पर पुख्ता तामीरात नहीं करें। तथा प्रतिवादी सं. 1 उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान नहीं करे , राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं करवावें। उक्त प्रकार के कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और ना ही अपने एजेन्ट – सर्वेन्ट इत्यादि से करवावें।दिनांक 20–12–2012 को वादीया जब अपने हिस्से कि भूमि को सम्भालने गई तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ लोगों को वादग्रस्त भूमि पर लाये और भूमि के बैचान कि वार्तालाप करने लगे तो वादीया ने कहां कि उक्त वादग्रस्त भूमि मेरे पिताजी कि निशानी हैं इसका बैचान मत करों तो उन लोगों ने वादीया को एलानियां धमकियां दी कि तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली उक्त भूमि कि खातेदारी मेरे पिता के नाम दर्ज हैं मैं इसका बैचान करूगां तथा तुम्हे बेदखल करके रहुगां। वादीया को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद कारण प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीया को प्राप्त उसके निहित हित के हिस्से में काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने एवं उसके हिस्से की भूमि को बैचान कर खुर्द – बुर्द करने की धमकीयां दिनांक 20–12–2010 को देने से उत्पन्न होरक आज तक निरन्तर जारी हैं जिससे उनके विरूद्ध दावा लाना आवश्यक हुआ।

.................4

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

वादी ने निवेदन किया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 घोषणा डिक्री किया जावे कि वादी भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1384 ग्राम जमवारामगढ़ पटवार क्षेत्र जमवारामगढ़ तहसील जमवरामगढ़ में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज करवाये जाने की कृपा करें। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र , दस्तावेजात , शपथपत्र का अवलोकन करने पर हम वादी को भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1384 ग्राम जमवारामगढ़ पटवार क्षेत्र जमवारामगढ़ तहसील जमवरामगढ़ में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज करना उचित समझते हैं ।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाता हैं कि वादी को भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1384 ग्राम जमवारामगढ़ पटवार क्षेत्र जमवारामगढ़ तहसील जमवरामगढ़ में प्रतिवादी सं. 1 के पिता नरसी के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज किया जावे ।इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 25.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ